तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
(1) 29/8/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 CR.ACT प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि - • प्रार्थी की आराजी ग्राम खिड़की/बावड़ीखेड़ा तहसील लाडपुरा में स्थित है, जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नं. 20 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा है तथा उक्त आराजी के सेटलमेन्ट पश्चात् बने खसरा नं. 48 रकबा 2.18 HCT बनाये गए। • प्रार्थीगण की आराजी के अड़वा ही अप्रार्थी (1) की आराजी स्थित है, जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नं. 22 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा है तथा बाद सेटलमेन्ट के ख.नं. 49 है, जिसका रकबा सेटलमेन्ट द्वारा 0.25 HCT दर्ज किया गया है। • सेटलमेन्ट से पूर्व प्रार्थीगण की आराजी का नक्शा एकदम सीधा था,	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अंज
	जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा प्रार्थीगण के सेटलमेन्ट के पूर्व में नक्शे में फेरबदल कर दिया गया है। • मौके पर प्रार्थीगण पूर्व के नक्शे अनुसार ही काबिज हैं, लेकिन सेटलमेन्ट के बाद नक्शे में अप्रार्थी के ख.नं. 49 को दर्शा देने से अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की आराजी में दखलंदाजी का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थना :- • उक्त आधार पर प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण के सेटलमेन्ट से पूर्व के ख.नं.20 के नक्शे अनुसार ही सेटलमेन्ट के बाद बने ख.नं.48 का नक्शा दुरुस्त किया जाकर अप्रार्थी के ख.नं. 49 जो प्रार्थीगण के नये ख.नं.48 में दर्शा दिए गए हैं, उन्हें पुराने नक्शे अनुसार सही स्थान पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा
उपखण्ड अधिकारी लाडपुरा कोटा

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्शाया जावे तथा प्रार्थीगण के नक्शे से हटाया जावे तथा तदनुसार नक्शे में दुरुस्ती करने के आदेश प्रदान किये जावें।	
	* प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये गए हैं – • जमाबन्दी संवत् 2035-38 ग्राम बावड़ीखेड़ा • जमाबन्दी संवत् 2059-62 ग्राम बावड़ीखेड़ा • जमाबन्दी संवत् 2035-38 अप्रार्थी • जमाबन्दी संवत् 2059-62 अप्रार्थी • मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038-57 • नक्शा मौजा बावड़ीखेड़ा संवत् 2013-14 • नक्शा ग्राम बावड़ीखेड़ा संवत् 2033-34	
	* प्रार्थनापत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।	
	* अप्रार्थी क्रम (1) को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत ना करने के कारण पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।	
	* तहसीलदार लाडपुरा की ओर से पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जो शामिल	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अंज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी
	पत्रावली है। रिपोर्ट तहसील अनुसार – • वादी की सेटलमेन्ट से पूर्व ख.न. 20 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा बारानी ग्राम बालडीखेड़ा में मिलती। • मुताबिक मिलान क्षेत्रफल पुराने ख.न. 20 के नये ख.न. 48 बने हैं जिसका क्षेत्रफल रिकार्ड में 2.18 HCT अंकित है, जिसके 13 बीघा 12 बिस्वा बनते हैं, जो पुराने रकबे से 3 बिस्वा अधिक है। इस प्रकार वादी का रकबा सेटलमेन्ट के दौरान कम नहीं हुआ है। हाँ, खेत की आकृति में अन्तर जरूर आया है। मौके पर पैमाइश करने पर भी वादी का क्षेत्रफल कम नहीं हुआ है। • प्रतिवादी की सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबन्दी अनुसार 6 बीघा 18 बिस्वा बारानी थी, जो सेटलमेन्ट के बाद 0.75 HCT रह गई है जो दौराने सेटलमेन्ट 0.23 HCT	

उपखण्ड अधिकारी

नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

कम हुई है। पुराने ख.नं. 22 मि.
से नये ख.नं. 41 बने हैं जो
प्रतिवादी के कब्जे काश्त में है।

* वादी उक्त वाद में ख.नं. 41 की
0.25 HCT भूमि अपने खाते में
नक्शे की आकृति के हिसाब से
अपने खाते बँटवाना चाहता है
जो गलत है।

* उक्त वाद में ख.नं. 41 की 0.25
HCT आराजी वादी के खाते
दीया जाना उचित नहीं होगा।
वाद खारिज योग्य है।

* बहस सुनी गई।

* हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों
का आद्योपान्त अध्ययन किया व बहस
पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

* पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित
होता है कि -

* दौरान सेटलमेन्ट प्रार्थी के रकबे
में कमी नहीं हुई है, बल्कि प्रार्थी
का रकबा 03 बिस्वा बढ़ाया गया है।

* दौराने सेटलमेन्ट अप्रार्थी 1 के रकबे

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नं. अहका. हुक्म में
	में 0.23 HCT की कमी हुई है। • प्रार्थी द्वारा मात्र ख.नं.48 व 49 का नक्शा प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि दौरान सेटलमेन्ट नक्शे में आस-पास के नम्बरान में क्या परिवर्तन हुआ है। • रिपोर्ट पटवारी से यह भी प्रमाणित है कि प्रार्थीगण मौके पर पैमाइश करने पर भी अपने सम्पूर्ण रकबे पर काबिज काश्त हैं। • प्रार्थीगण का कथन है कि ख.नं. 49 को ख.नं.48 के अन्दर बना दिया गया है, यदि प्रार्थीगण के कथन को स्वीकार कर लिया जाए तो इससे प्रमाणित होता है कि ख.नं.48 में अन्य खसरा नम्बरान की भूमि को सम्मिलित किया गया है। क्योंकि रिपोर्ट पटवारी अनुसार ख.नं.48 का रकबा तो पूर्ण है। उक्त नक्शों का विवेचन प्रार्थीगण	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में नहीं किया गया है।	

* उक्त परिस्थितियों में चूंकि प्रार्थीगण के रकबे में दौराने सेटलमेन्ट कोई कमी नहीं हुई है, प्रार्थीगण अपने खाते दर्ज भूमि पर काबिल काश्त है, अप्रार्थीगण का रकबा दौराने सेटलमेन्ट 0.23 HCT कम किया गया है तथा प्रार्थीगण द्वारा नक्शे में हुए परिवर्तनों को प्रमाणित करने हेतु सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, इस प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

* अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LRACT अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

* पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
को..